न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 48/2018 (2018/00048) जिला–नागौर

1. जस्सा राम
2. मोहन राम
3. सुगना राम

पुत्रगण श्री हीराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम रोहिणी तहसील व जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार

–––––प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नागौर दिनांक 5–12–2017
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 65/2015 बउनवान जस्सा राम व अन्य बनाम सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री गिरीश पारीक़ अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 02–05–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष उपस्थित होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि ग्राम रोहिणी में स्थित गत खसरा संख्या 71 रकबा 83 बीघा थी परन्तु हाल बन्दोबस्त में नये खसरा नम्बर बने जिसका रकबा 83 बीघा के स्थान पर गलती से 80 बीघा दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी, नागौर ने साक्ष्य के अभाव में अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5–12–2017 द्वारा अपलार्थी का धारा–136 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, नागौर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2010–13 के अनुसार गत खसरा नम्बर 71 का रकबा 83 बीघा 4 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था जिसके सहखातेदार अपीलार्थीगण के पिता हरिया पिता गुला थे परन्तु हाल बन्दोबस्त के दौरान खसरा नम्बर 71 रकबा 83 बीघा 4 बिस्वा के स्थान पर नये खसरा नम्बर 492 रकबा 80 बीघा गलत दर्ज कर दिया गया जो लिपिकीय त्रुटि होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा धारा–136 के तहत प्रस्तुत किया गया था परन्तु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर ने सरसरी तौर पर साक्ष्य को अनदेखा कर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जो तहसीलदार द्वारा सभी पक्षकारों की मौजूदगी में दिनांक 5–5–2015 को तैयार की थी मौका रिपोर्ट में नक्शा नजरी एवं मौका नाप रिपोर्ट में खसरा नम्बर 492 के खेत को लम्बाई एवं चौड़ाई एवं हर दिशा से नाप कर यह निष्कर्ष निकाला गया कि मौके पर उक्त भूमि 83 बीघा 4 बिस्वा है। उक्त रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा भी बना कर पेश किया गया था। अपीलार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ गत खसरा नम्बर 71 रकबा 83 बीघा 4 बिस्वा की जमाबंदी सम्वत 2010–2013 प्रस्तुत कर नये खसरा नम्बर 492 रकबा 80 बीघा की जमाबंदी सम्वत 2020–2024 पेश की एवं नकल जमाबंद सम्वत 2066–2069 पेश की जिससे स्पष्ट है कि मौके पर भूमि 83 बीघा 4 बिस्वा होने के उपरान्त भी राजस्व रेकार्ड में लिपिकीय त्रुटि से 80 बीघा दर्ज कर दी गई जिसे दुरूस्त कराने हेतु धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे निरस्त कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5–12–2017 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया है कि खसरा नम्बर 492 के साबिक खसरा नम्बर 72 के अनुसार राजस्व ग्राम रोहिणी के कौनसे खसरा नम्बर में शामिल हुआ । अपीलार्थी दस्तावेजों से सिद्ध नहीं कर पाने के कारण अपीलार्थी का धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–12–2017 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा

साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थीगण का धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है। अपीलार्थी का कथन कि बन्दोबस्त के दौरान नये खसरा नम्बर 492 रकबा 83 बीघा था जिसके स्थान पर सहवन से 80 बीघा दर्ज कर दिया गया । भू–प्रबन्ध विभाग को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पटवारी हलका रोहिणी ग्राम के मौतबिरान के समक्ष दिनांक 5–5–2015 खसरा नम्बर 492 की नक्शा नजरी व मौका नाप रिपोर्ट की गई, जिसमें उल्लेखित है कि जमाबंदी ग्राम रोहिणी के अनुसार खसरा नम्बर 492 का रकबा 80 बीघा है मगर मौके पर खसरा नम्बर 492 का रकबा कदीमी सीमाओं के साथ 83.04 बीघा का अंकन किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय को भू–प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व विवादित आराजियात का क्या रकबा था तथा बाद में क्या रकबा था जिसकी जांच की जानी आवश्यक थी। जिसको नजर अन्दाज कर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर निर्णय करने से पूर्व विवादित भूमि से लगते हुए चारों दिशाओं की ओर के खातेदारों को सुनना एवं उनके एतराज पर गौर करना राजस्व अधिकारी के लिए नियमानुसार आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5–5–2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–05–2015 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 65/2015 बउनवान जस्सा राम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण की आराजियात गत खसरा नम्बर 71 रकबा 83 बीघा हाल खसरा नम्बर 492 से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त कर विवादित भूमि से लगते हुए पड़ौसी खातेदारों के समक्ष मौका नाप चोप कर सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 02–05–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल महेरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर